उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 31.08.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

- **पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन मे जनपद के समस्त थानों मे नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओ का किया जा रहा निस्तारण**
- **महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, स्कमहिला हेल्प डेस्क व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर व पम्पलेट वितरित कर किया जा रहा जागरुक**
- **सभी का उद्देश्य जनकल्याण व मानव समाज की सेवा करना शासन-प्रशासन महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान व उनके उत्थान व सशक्तिकरण हेतु है प्रतिबद्ध**
- **समस्त थानों की महिला पुलिस कर्मी व एण्टीरोमियो टीम द्वारा मंदिरों बाजारों, स्कूलों/कालेजों व प्रमुख मार्गो पर चेकिंग भी की जा रही है।**

उ0प्र0 शासन की मंशा के अनुरुप मिशन शक्ति अभियान (फेज -4) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर आज दिनांक 31.08.2024 को जनपद महोबा के समस्त थानों में नियुक्त एण्टीरोमियो /शक्ति दीदी टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के ग्रामों में भ्रमण कर जनचौपाल का आयोजन कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में शुरुआत की गई है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना/ पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नही आना पड़ेगा अपितु **"शक्ति दीदी"** नियमित रुप से ग्राम चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया व कराया जा रहा है।

जनचौपाल में उपस्थित महिलाओ एवम् बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा,नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) फेज़-4 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और शासन द्वारा जारी हेल्प लाइन नम्बर-112, 108, 181, 1076, 1090,1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया। साथ ही शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं मे उज्जवला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना,फ्री सिलाई मशीन योजना,सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना,सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना,बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 31.08.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी ।

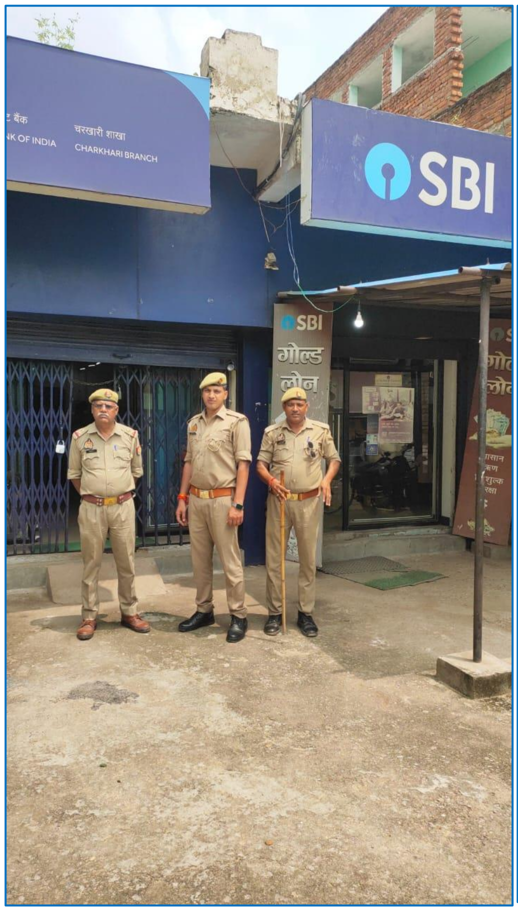

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 31.08.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 31.08.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री गणेश कुमार द्वारा गठित टीम के उ0नि0 विनोद कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 राजाराम पाल व हे0का0 अजीत तिवारी द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त कुलदीप पुत्र हाकिम सिंह उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम टोलासोयम थाना चरखारी जनपद महोबा सम्बन्धित केश नं0 486/12 धारा 323/504/506 भादवि0 में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम टोलासोयम थाना चरखारी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

कुलदीप पुत्र हाकिम सिंह उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम टोलासोयम थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विनोद कुमार सिंह
2. हे0का0 राजाराम पाल
3. हे0का0 अजीत तिवारी

थाना खरेला की पुलिस टीम ने दहेज हत्या से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 31.08.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खरेला श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित की गई उ0नि0 सुरेश कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 94/24 धारा 80/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.भीमदेव पुत्र स्व0 सन्तोष उम्र 28 वर्ष 2.कलावती पत्नी स्व0 सन्तोष उम्र 48 वर्ष निवासीगण ग्राम धवारी थाना खरेला जनपद महोबा को धवारी चौराहा कस्बा खरेला के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. भीमदेव पुत्र स्व0 सन्तोष उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम धवारी थाना खरेला जनपद महोबा
2. कलावती पत्नी स्व0 सन्तोष उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम धवारी थाना खरेला जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुरेश कुमार यादव
2. का0 श्याम कुमार
3. म0 का0 आरती
4. हो0गा0 लक्ष्मीप्रसाद

थाना खरेला की पुलिस टीम ने अवैध सूखे गांजे के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 31.08.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खरेला श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित की गई उ0नि0 सुरेश कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 01 नफर अभियुक्त कृष्णा उर्फ परदेशी उर्फ पद्दी लोहार पुत्र हुकुम सिंह उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम जैन नगर कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम सूखा गाँजा नाजायज बरामद करते हुये ग्राम चन्दौली जाने वाली रोड पर कस्बा खरेला के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 95/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

कृष्णा उर्फ परदेशी उर्फ पद्दी लोहार पुत्र हुकुम सिंह उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम जैन नगर कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुरेश कुमार यादव
2. का0 श्याम कुमार

पुलिस भर्ती परीक्षा में आधार कार्ड में कूटरचना कर परीक्षा देने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा द्वारा जनपद महोबा में आयोजित की जा रही पुलिस भर्ती परीक्षा को सुचितापूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत परीक्षा केन्द्रों में की गयी पुख्ता व्यवस्था के क्रम में आज दिनांक 31.08.2024 को पुलिस भर्ती परीक्षा की प्रथम पाली के लिये परीक्षा केन्द्र- राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज महोबा में प्रचलित परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की स्क्रीनिंग एवं बायोमैट्रिक की जांच की जा रही थी कि तभी कक्ष सं. 08 में परीक्षा दे रहे सुमित कुमार पंडित नाम का अभ्यर्थी अनुक्रमांक 4048298 की स्क्रीनिंग के दौरान मिसमैचिंक पायी गई, जिसके उपरान्त अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड का सत्यापन कराया गया तो आधार कार्ड में अभ्यर्थी का नाम सुमित कुमार पंडित जन्मतिथि 10.10.1999 अंकित पायी गयी, दस्तावेजों की ई- केवाईसी पोर्टल से मिलान करने पर उसका विवरण सोनू कुमार पंडित जन्मतिथि 23.02.1995 पायी गई। पूछताछ में अभ्यर्थी ने बताया कि उसने आधार कार्ड में कूटरचना करके पुलिस भर्ती में लाभ लेने के उद्देश्य से प्रयोग में लाने के लिए जन्मतिथि 10.10.1999 कराई है तथा नाम सुमित कुमार पंडित कराया है, जबकि उसका वास्तविक नाम सोनू कुमार पंडित पुत्र सुरेन्द्र प्रसाद जन्मतिथि 23.02.1995 निवासी दुब्बा थाना हरौली जनपद सिवान बिहार राज्य है।

अभियुक्त के इस आचरण पर अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा थाना कोतवाली नगर महोबा में मु0अ0सं0-433/24 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 6/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सोनू कुमार पंडित पुत्र सुरेन्द्र प्रसाद जन्मतिथि 23.02.1995 निवासी दुब्बा थाना हरौली जनपद सिवान बिहार राज्य।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 433/24 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 6/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998

बरामदगी-

1. एक आधार कार्ड व एक प्रश्न पुस्तिका मय ओएमआर शीट
2. एक प्रवेश पत्र
3. एक हाईस्कूल की मार्कशीट
4. बायोमैट्रिक मिसमैच की प्रति

गिरफ्तारी टीम –

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध तमंचों के रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.08.24 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल द्वारा चलाये जा रहे अवैध तमंचा की रोकथाम चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति के दौरान 02 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.अशोक वर्मा पुत्र स्व0 छोटेलाल वर्मा उम्र करीब 27 वर्ष निवासी शुक्रवारी बाजार गाँधीनगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज 2.दीपक वर्मा पुत्र स्व0 छोटेलाल वर्मा उम्र करीब 21 वर्ष निवासी शुक्रवारी बाजार गाँधीनगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुये नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर क्रमशः मु0अ0सं0- 431/24 एवं मु0अ0सं0 432/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व बरामदगी-

1.अशोक वर्मा पुत्र स्व0 छोटेलाल वर्मा उम्र करीब 27 वर्ष निवासी शुक्रवारी बाजार गाँधीनगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

2. दीपक वर्मा पुत्र स्व0 छोटेलाल वर्मा उम्र करीब 21 वर्ष निवासी शुक्रवारी बाजार गाँधीनगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा के कब्जे से दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल चौकी इन्चार्ज भटीपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा
2. उ0नि0प्रशि0 संदीप विमल थाना कोतवाली नगर महोबा